

~~V1-5 एवं V2-11~~ (3)-4

पत्रांक-23/नियुक्ति-01-01/2017, सा0प्र0 5318/

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

श्री 0 राजेन्दर,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

समा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक 20.3.23

विषय :-

सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनाधीन कार्यरत आयोग यथा बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग से नियमित/सीधी नियुक्ति होने वाले रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग :-

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-8948 दिनांक-03.06.2022 एवं पत्रांक-11907 दिनांक-15.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के आयोजन में तीव्रता लाने हेतु प्रासंगिक पत्रों के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनाधीन कार्यरत आयोग यथा-बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग को रिक्त पदों की अधियाचना सीधे न भेजकर सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है। तत्पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित प्रक्रिया से जाँचोपरांत नियुक्ति संबंधी अधियाचना संबंधित आयोग को भेजी जाती है।

उक्त क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2374 दिनांक-16.01.2007 (तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा जारी मार्गदर्शन के आलोक में सभी विभाग संवर्ग की समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर उक्त परिगणित रिक्तियों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार अधियाचना संबंधित आयोग को 30 अप्रैल तक भेजा जाना अपेक्षित है।

438
114
187

अतएव वर्णित परिस्थिति में अनुरोध है कि सामान्य प्रशासन विभाग दिशा निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना से नियमित/सीधी नियुक्ति होने वाले विभिन्न प्रकार के सभी संबंधित रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार त्रुटि-रहित अधियाचना वांछित अभिलेखों (दो प्रति मूल में) के साथ सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से आयोग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

Pragati
17.3.23

(डॉ० बी० राजेन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक:-23/नियुक्ति-01-01/2017, सा0प्र0-5318 पटना-15, दिनांक-20.3.23

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग एवं बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Pragati
17.3.23

सरकार के प्रधान सचिव।